



Neutral Citation-2026: AHC:19515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2720 वर्ष 2026

रमेशयाचिकाकर्ता
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: पवन कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. यह रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह मौजा बेलवा टीकर, टप्पा मतकोपा, परगना- हवेली, तहसील- सदर, जिला- महाराजगंज में स्थित आराजी संख्या 404 (क्षेत्रफल 0.648 हेक्टेयर) पर, एक निर्धारित अवधि के भीतर, सरकारी मेड़ का निर्माण कराए।

2. राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि याचिकाकर्ता अपनी सभी शिकायतों को विस्तार से बताते हुए, सभी प्रासंगिक कागजात और दस्तावेजों को संलग्न करके, प्रतिवादी संख्या 2 (अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सदर, महाराजगंज) के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो वह इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

3. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी जाती है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, अपनी सभी शिकायतों को विस्तार से बताते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 (अर्थात् उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सदर, महाराजगंज) के समक्ष एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि याचिकाकर्ता द्वारा उपयुक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाता है कि वह कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इस मामले में आवश्यक कार्यवाही अत्यंत शीघ्रता से करे; और अधिमानतः, याचिकाकर्ता द्वारा उसके समक्ष ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर यह कार्यवाही पूर्ण करे।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"